

मांग संख्या 13  
मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1**

दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना हेतु राशि ` 175.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 1,75,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 2**

श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकता हेतु राशि ` 350.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 3,50,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 3**

धान फसल आधारित फसल पद्धति पर कतार बोनी का वृहद फसल प्रदर्शन हेतु राशि ` 930.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 9,30,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 4**

धान में समन्वित पोषक तत्व उपयोग को बढ़ावा देने फसल प्रदर्शन का आयोजन हेतु राशि ` 212.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 2,12,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 5**

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत प्रीमियम अनुदान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के फलस्वरूप राशि ` 150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 1,50,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 6**

बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजनांतर्गत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु राशि ` 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 5,00,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 7**

नदी के कछार/तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक समुदायों के प्रोत्साहन हेतु राशि ` 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 25,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 8**

बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत कृषकों की बाड़ी में टपक सिंचाई योजनांतर्गत राशि ` 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 25,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 9**

सूक्ष्म सिंचाई हेतु राशि ` 2500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 25,00,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 10**

कृषि विभाग के अंतर्गत नवगठित 09 जिला कार्यालय हेतु कुल 252 पदों के सृजन तथा इनके वेतन भत्ते हेतु राशि 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान		पद संख्या
		पे बैंड	ग्रेड पे	
1	2	3	4	5
1	उप संचालक कृषि	15600-39100	6600	09
2	सहायक संचालक कृषि	15600-39100	5400	27
3	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	9300-34800	4300	09
4	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	9300-34800	4300	27
5	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	5200-20200	2400	36
6	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	27
7	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2400	18
8	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	36
9	स्टेनो टायपिस्ट	5200-20200	1900	09
10	वाहन चालक	5200-20200	1900	09
11	भृत्य (2 सां.)	4750-7440	1300	36
12	पार्ट टाइम सफाई कर्मी	कलेक्टर दर		09
<b>योग</b>				<b>252</b>

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि 30,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।

**मद क्रमांक 11**

कृषक कल्याण परिषद हेतु 01 नग नवीन वाहन क्रय हेतु राशि 6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि 6,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।

**मद क्रमांक 12**

राज्य स्तरीय कृषक प्रशिक्षण अकादमी (समेती) योजनांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राशि 46.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि 46,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।

**मद क्रमांक 13**

कृषि यंत्रों कार्यालय अंबिकापुर हेतु 01 नवीन मिनी ट्रक (टाटा-407) के क्रय हेतु राशि 7.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि 7,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है ।

**मद क्रमांक 14**

उद्यानिकी के अंतर्गत नवगठित 09 जिला कार्यालय हेतु कुल 120 पदों के सृजन तथा इनके वेतन भत्ते हेतु राशि ₹ 190.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान		पद संख्या
		पे बैंड	ग्रेड पे	
1	2	3	4	5
1	उप संचालक उद्यान	15600-39100	6600	03
2	सहायक संचालक उद्यान	15600-39100	5400	06
3	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	9300-34800	4300	09
4	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	5200-20200	2400	09
5	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	09
6	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	5200-20200	2400	18
7	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	39
8	वाहन चालक	5200-20200	1900	09
9	भृत्य	4750-7440	1300	09
10	चौकीदार	4750-7440	1300	09
<b>योग</b>				<b>120</b>

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 1,90,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मुख्य शीर्ष 2402****मद क्रमांक 15**

पी.पी.पी. मॉडल पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्ग एवं धमतरी की स्थापना हेतु राशि ₹ 60.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 60,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मांग संख्या 41**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना हेतु ` 75.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 75,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 2**

वन ग्रामों के पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित धान बीज एवं उर्वरक वितरण हेतु राशि ` 1240.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 12,40,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 3**

श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकता हेतु राशि ` 266.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 2,66,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 4**

धान फसल आधारित फसल पद्धति पर कतार बोनी का वृहद फसल प्रदर्शन हेतु राशि ` 706.80 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 7,06,80,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 5**

धान में समन्वित पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने फसल प्रदर्शन का आयोजन हेतु राशि ` 161.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 1,61,50,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 6**

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत प्रीमियम अनुदान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के फलस्वरूप राशि ` 114.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 1,14,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 7**

बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजनांतर्गत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु राशि ` 380.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 3,80,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 8**

नदी के कछार/तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक समुदायों के प्रोत्साहन हेतु राशि ` 19.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 19,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 9**

बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत कृषकों की बाड़ी में टपक सिंचाई योजनांतर्गत राशि ` 19.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 19,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

### मुख्य शीर्ष 2402

#### मद क्रमांक 10

पी.पी.पी. मॉडल पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, सरगुजा की स्थापना हेतु राशि ₹ 40.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 40,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

### मुख्य शीर्ष 2702

#### मद क्रमांक 11

नलकूप अनुदान की संचालित दो योजनाओं किसान समृद्धि योजना एवं सामान्य नलकूप योजना अंतर्गत कृषकों को अनुदान एक समान दर हो जाने के कारण सामान्य नलकूप योजना को किसान समृद्धि योजना में समाहित करने के फलस्वरूप राशि ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 5,00,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मांग संख्या 45  
मुख्य शीर्ष 2702

**मद क्रमांक 1**

नलकूप अनुदान की संचालित दो योजनाओं किसान समृद्धि योजना एवं सामान्य नलकूप योजना अंतर्गत कृषकों को अनुदान एक समान दर हो जाने के कारण सामान्य नलकूप योजना को किसान समृद्धि योजना में समाहित करने के फलस्वरूप राशि ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 10,00,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

मांग संख्या 54  
मुख्य शीर्ष 2415

मद क्रमांक 1

भांडापारा में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में राशि 1,00,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मांग संख्या 64**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना हेतु ` 75.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 75,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 2**

श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकता हेतु राशि ` 84.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 84,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 3**

धान फसल आधारित फसल पद्धति पर कतार बोनी का वृहद फसल प्रदर्शन हेतु राशि ` 223.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 2,23,20,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 4**

धान में समन्वित पोषक तत्व उपयोग की बढ़ावा देने फसल प्रदर्शन का आयोजन हेतु राशि ` 51.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 51,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 5**

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत प्रीमियम अनुदान 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के फलस्वरूप राशि ` 36.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 36,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 6**

बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजनांतर्गत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु राशि ` 120.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 1,20,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 7**

नदी के कछार/तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक समुदायों के प्रोत्साहन हेतु राशि ` 6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 6,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मद क्रमांक 8**

बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत कृषकों की बाड़ी में टपक सिंचाई योजनांतर्गत राशि ` 6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 6,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।

**मुख्य शीर्ष 2402**

**मद क्रमांक 9**

पी.पी.पी. मॉडल पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, जांजगीर की स्थापना हेतु राशि ` 20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 20,00,000 का प्रावधान शामिल किया गया है।



## मुख्य शीर्ष 2702

### मद क्रमांक 10

नलकूप अनुदान की संचालित दो योजनाओं किसान समृद्धि योजना एवं सामान्य नलकूप योजना अंतर्गत कृषकों को अनुदान एक समान दर हो जाने के कारण सामान्य नलकूप योजना को किसान समृद्धि योजना में समाहित करने के फलस्वरूप राशि ₹ 720.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि ₹ 7,20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।